

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 26.12.2018
27

आदेश


डा. योगिता आसिया, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी, पाली का बकाया एवं आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी, पाली से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जोधपुर
- 4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
- 5- डा. योगिता आसिया, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी, पाली
- 6- रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव